एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 02, अंक: 02 (मार्च-अप्रैल, 2022)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

(*मांगी लाल जाट[1] एवं अमित स्वामी[2])
[1]सहायक आचार्य, कृषि प्रसार शिक्षा विभाग, एपेक्स कृषि महाविद्यालय, चाईया, हनुमानगढ़
[2]कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्थान, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्यप्रदेश)
*mangilalgodara9546@gmail.com

भारत किसानों का देश है जहां ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात कृषि पर आश्रित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नें **13 जनवरी 2016** को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का अनावरण किया। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करेगी। बीमा दावे के निपटान की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने का निर्णय लिया गया है ताकि किसान फसल बीमा योजना के संबंध में किसी परेशानी का सामना न करें। यह योजना भारत के हर राज्य में संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू की जायेगी। एसोसिएशन में के निपटान की प्रक्रिया बनाने का फैसला किया गया है। इस योजना का प्रशासन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

योजना के मुख्य आकर्षण

- किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल **2%** एवं सभी रबी फसलों के लिए **1.5%** का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल **5%** होगा।
- किसानों द्वारा भुगतान किये जानेवाले प्रीमियम की दरें बहुत ही कम हैं और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए।
- सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। भले ही शेष प्रीमियम 90% हो, यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- इससे पहले, प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था जिससे किसानों को कम कम दावे का भुगतान होता था। अब इसे हटा दिया गया है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलेगा।
- काफी हद तक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के डेटा को एकत्रित एवं अपलोड करने हेतु स्मार्ट फोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
- बीमा योजना को एक मात्र बीमा कंपनी, भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

- पीएमएफबीवाई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) की एक प्रतिस्थापन योजना है और इसलिए इसे सेवा कर से छूट दी गई है।

योजना के उद्देश्य

- प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना।
- किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विशेषताएं

- PM Fasal Bima Yojana के माध्यम से प्राकृतिक कारणों की वजह से फसल को होने वाले नुकसान पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना के माध्यम से किसानों की आय में स्थिरता आती है एवं उन्हें नवीन प्रथाओं को अपनाने में प्रोत्साहन प्राप्त होता है।
- प्रमुख फसलों के अधिसूचित बीमा इकाई को कम कर दिया गया है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को actuarial/bidded प्रीमियम रेट पर संचालित किया जा रहा है।
- इस योजना के अंतर्गत छोटे किसानों को अधिकतम 2% खरीफ पर, 1.5% राबी एवं तिलहन फसलों पर एवं 5% वाणिज्य या बागवानी फसलों पर प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसके अलावा यदि किसान को अधिक प्रीमियम देना पड़े तो उसकी 50% की राशि राज्य सरकार एवं 50% की राशि केंद्र सरकार द्वारा वाहन की जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90% की राशि केंद्र सरकार एवं 10% की राशि राज्य सरकार द्वारा वाहन की जाएगी।
- किसान द्वारा देय प्रीमियम एवं बीमा शुल्क की दर के बीच का अंतर सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- ऋणी एवं गैर ऋण किसानों को सामान्य बीमा राशि का भुगतान करना होगा।
- सरकार द्वारा प्रीमियम पर कैपिंग के प्रावधान को हटा दिया गया है जिसके कारण बीमा राशि में कमी आई है।
- इस योजना के अंतर्गत रोकी गई बुवाई के लिए बीमित राशि के 25% तक के दावे का प्रावधान है।
- यदि बीमा इकाई में फसल की क्षति 50% से अधिक बताई जाती है तो मध्यम मौसम प्रतिकूलता के लिए बीमा राशि का 25% तक ऑन अकाउंट भुगतान किया जाएगा।
- शेष क्लेम की राशि फसल कटाई प्रयोगों के आंकड़ों के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- दावों को शीघ्र निपटाने के लिए फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक, स्मार्टफोन और ड्रोन का उपयोग किया जाएगा।
- फसल बीमा पोर्टल को भी इस योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए विकसित किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से दावे की राशि सीधे किसान के खाते में जमा की जाती है।
- सरकार द्वारा सभी हिट धारकों के बीच योजना के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के किसानो की फसलों में होने वाले नुकसान का बीमा दिया जायेगा
- यदि किसी किसान की फसल प्राकर्तिक आपदा के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा ।

- यदि किसी किसान की फसल किसी मानव के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- पॉलिसी के अंतर्गत किसानो को खरीफ फसल 2% के लिए रवि की फसल के लिए 1. 5% का भुगतान करते है जिसके अनुसार प्राकृतिक नुकसान जैसे -सूखा बाढ़ ओले के कारण फसल को बहुत हानि होने पर सरकार द्वारा मदद की जाती है |

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पात्रता

- इस योजना के तहत देश के सभी किसान पात्र हो सकते है।
- इस योजना के तहत आप अपनी ज़मीन पर की गयी खेती का बीमा करवा सकते है साथ ही आप किसी उधार की पर ली गयी ज़मीन पर की गयी खेती का भी बीमा करवा सकते है।
- देश क उन किसानो का इस योजना के तहत पात्र माना जायेगा। जो पहले किसी बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हो।

PMFBY के ज़रूरी दस्तावेज़

- किसान का आई डी कार्ड
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक खाता
- किसान का एड्रेस प्रूफ (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ,पासपोट, वोटर ID कार्ड)
- अगर खेत किराये पर लेकर खेती की गयी है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटो कॉपी
- खेत का खाता नंबर /खसरा नंबर के पेपर
- आवेदक का फोटो
- किसान द्वारा फसल की वुआई शुरू किए हुए दिन की तारीख

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मैं आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी तिथियां

- यदि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो खरीफ फसल के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है तथा रबी फसल के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इस योजना की अंतिम तिथि सीएससी केंद्र, पीएमएफबीवाई पोर्टल, इंश्योरेंस कंपनी या फिर कृषि अधिकारी से भी पूछी जा सकती हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन ?

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर्म ऑनलाइन भरने की लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करना होगा
- फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना एक एकाउंट बनाना होगा
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- अकाउंट बनाने की लिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा ओर यहां पर पूछी गई सभी जानकारी को सही सही करना होगा
- सभी जानकारी भरने की बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दे और उसके बाद आप का अकाउंट ऑफिशियल वेबसाइट बन जायगा
- PMFBY Login
- अकाउंट बनने की बाद अपने अकाउंट में लॉग इन करके आपको फसल बीमा योजना की लिए फॉर्म भरना होगा
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना Application Form

- फसल बीमा योजना का फॉर्म सही सही भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पर सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

यदि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नियमित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।

- सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी बीमा कंपनी जाना होगा।
- अब आपको कृषि विभाग से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन पत्र से अटैच करना होगा।
- इसके पश्चात आपको यह आवेदन पत्र कृषि विभाग में जमा करना होगा।
- अब आपको प्रीमियम की राशि का भुगतान करना होगा।
- इसके पश्चात आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा।
- आपको इस रेफरेंस नंबर को संभाल कर रखना होगा।
- इस नंबर के माध्यम से आप अपनी आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया

यदि किसी प्राकृतिक आपदा जैसे कि तूफान, बारिश, भूकंप आदि के कारण आप की फसल को नुकसान पहुंचा है और आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थी हैं तो आप नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

- सर्वप्रथम आपको अपने एग्रीकल्चर ऑफिसर या फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना होगा।
- आपको एग्रीकल्चरल ऑफिसर या इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर अंदर नुकसान की जानकारी प्रदान करनी होगी।
- इसके पश्चात आपको नुकसान की तिथि एवं समय की जानकारी भी प्रदान करनी होगी।
- आपको फसल के नुकसान की तिथि तथा टाइम के साथ साथ फसल की फोटो भी जमा करनी होगी।
- यह पूरी प्रक्रिया आप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं।
- अन्य जानकारी के लिए आप फार्मर कॉल सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं जो कि 1800 180 1551 है।

फसल बीमा योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे ?

- सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा | ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |
- आपको इस होम पेज पर Application Status का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा | ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा |
- इस पेज पर आपको अपना Receipt Number भरना होगा फिर कैप्चा कोड डालना होगा इसके बाद Search Status के बटन पर क्लिक करना होगा |
- क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी |

शिकायत दर्ज कैसे करे?

सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको Technical Grievance क ऑप्शन दिखाई देगा।

- Fasal Bima yojana
- आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको नाम, मोबाइल नंबर , ईमेल आईडी , और कमैंट्स को दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपको शिकायत दर्ज हो जायेगा।

बीमा का क्लेम करते समय रखना होगा इन बातों का ध्यान

यदि आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन किया है और आप बीमा का क्लेम करना चाहते हैं तो आपको बीमा कंपनी को छोटे पैमाने पर प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी प्रदान करनी होगी। यह जानकारी आपको समय से प्रदान करनी होगी। यदि आपने आपदा की जानकारी बीमा कंपनी को देने में देरी की तो आपको क्लेम का भुगतान नहीं किया जाएगा। छोटे पैमाने पर प्राकृतिक आपदाओं में ओलावृष्टि, भू-स्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने, प्राकृतिक आग लगने तथा बेमौसम वर्षा या सामान्य से अधिक वर्षा होने आदि शामिल है। हाल ही में 9,30,000 किसानों के बीमा क्लेम रद्द कर दिए गए हैं। क्योंकि उन्होंने समय से बीमा कंपनी को प्राकृतिक आपदा की जानकारी नहीं प्रदान की थी। यदि किसी बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदा आती है तो इस स्थिति में आपको बीमा कंपनी को प्राकृतिक आपदा की जानकारी देने की जरूरत नहीं है। यदि आप क्लेम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप बीमा कंपनी को सही समय पर सूचित कर दें नहीं तो प्रीमियम का भुगतान करने के बाद भी आपको क्लेम नहीं प्राप्त होगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम करने की प्रक्रिया

- यदि आप की फसल को नुकसान पहुंचा है तो आपको नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर कर बीमा राशि का क्लेम कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम किसान को फसल के पहुंचे नुकसान की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार अधिकारी को देनी होगी।
- यह जानकारी किसान को टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर देनी होगी।
- यदि आपने इंश्योरेंस कंपनी के अलावा किसी और को नुकसान की जानकारी दी है तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वह जल्द से जल्द यह जानकारी इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचाएं।
- जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी तक जानकारी पहुंचेगी इंश्योरेंस कंपनी 72 घंटे के भीतर नुकसान निर्धारणकरता नियुक्त करेगी।
- अगले 10 दिन के भीतर आप ही फसल को पहुंचे नुकसान का आकलन नुकसान निर्धारितकरता करेगा।
- यह सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाने पर 15 दिन के अंदर अंदर बीमा की राशि आपके खाते में पहुंचा दी जाएगी।

प्रधानमंत्री हेल्पलाइन नंबर

इस योजना के अंतर्गत देश के किसानो के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है अगर किसी किसान को इस योजना के जुडी कोई परेशानी है है तो वह इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी परेशानी का निवारण प्राप्त कर सकते है और इस योजना से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है ।

योजना से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए फ़ोन नंबर – 01123382012

हेल्पलाइन नंबर – 01123381092